कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(जिला न्यायालय परिसर)

दूरभाष– 0761 2991294, ईमेल secdlsajbp@mp.gov.in

क्र.फा.नं.160....../जिविसेप्रा/2026 जबलपुर, दिनांक 13/04/2026

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,
कम्प्युटर अनुभाग,
जिला न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0)

विषयः–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर अंतर्गत पैरालीगल वालेंटियर्स के चयन हेतु विज्ञापन/सूचना–पत्र बेवसाईड jabalpur.dcourts.gov.in में अपलोड करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जबलपुर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत नागरिकों तक विधिक सेवाओं, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से नवीन पैरालीगल वालेंटियर्स का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त पहल का उद्देश्य आमजन, विशेषकर ग्रामीण एवं वंचित वर्ग, को विधिक सहायता एवं जागरूकता उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर उपलब्ध सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन/सूचना–पत्र को प्रधान जिला न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक बेवसाईड jabalpur.dcourts.gov.in में अपलोड कराने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस संबंध में अवगत होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

13/4/26

न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर (म0प्र0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(जिला न्यायालय परिसर)

दूरभाष– 0761 2991294, ईमेल **secdlsajbp@mp.gov.in**

क्र.फा.नं. 77 / जिविसेप्रा / 2026 जबलपुर, दिनांक 08 / 04 / 2026

।।विज्ञापन।।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स स्कीम के अन्तर्गत योग्य एवं उपर्युक्त व्यक्ति को पैरालीगल वालेंटियर के रूप में इम्पैनल्ड (Empaneled) करने तथा उनमें से विभिन्न ग्रामों एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले लीगल सर्विसेज क्लीनिक्स (विधिक सेवा केन्द्र), पुलिस थानों में समाज के कमजोर, पिछड़े तथा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता एवं सलाह एवं गुमशुदा बच्चों को मदद करने हेतु संबद्ध करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा योजनाओं के कियान्वयन में सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में इच्छुक व्यक्तियों एवं पूर्व में इम्पैनल्ड वालेंटियर्स से एक वर्षीय (सत्र 2026–27) की पैनल के लिए पैरालीगल वालेंटियर के रूप में विधिक सेवा कार्य हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित करता है।

विशेष नोट–

1. पैरालीगल वालेंटियर का कार्य पूर्णतः विधिक सेवा का कार्य है, जोकि नौकरी नहीं है, इसके लिए कोई वेतन / मजदूरी / भत्ता आदि देय नहीं है। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैरालीगल वालेंटियर को निर्धारित मानदेय ₹750 / – (सात सौ पचास रुपये) प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 दिवस तक देय किया जा सकेगा।
2. आयु सीमा–18 वर्ष एवं उससे अधिक किसी भी उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह उत्तम चरित्र, स्वस्थ्य चित्त का हो और उसमें किसी भी प्रकार को कोई शारीरिक दोष ना हों जो उसे कार्य करने के लिए असक्षम बनाता है।
3. शैक्षणिक योग्यता कम से कम **10वीं कक्ष उत्तीर्ण** होना चाहिए।
4. आवेदन–कर्ता रजिस्टर्ड विधि व्यवसायी ना हो।
5. आवेदन–कर्ता की किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबद्धता नहीं होनी चाहिए।

निम्न समूह के व्यक्ति पैरालीगल वालेंटियर हो सकते है–

1. निजी अथवा शासकीय शिक्षक (जिसमें रिटायर्ड व्यक्ति भी शामिल है),
2. सेवा निवृत्त शासकीय सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक,
3. सामाजिक कार्य विद्यार्थी (बी.एस.डब्ल्यू / एम.एस.डब्ल्यू),
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक,
5. निजी / शासकीय चिकित्सक एवं फिजीशियन, नर्सिंग स्टॉफ, आशा कार्यकर्ता,
6. महाविद्यालयीन और विधि महाविद्यालयीन विद्यार्थी (जोकि अधिवक्ता के रूप में नामांकित ना हो)
7. गैर राजनीतिक, सेवा उन्मुखी गैर सरकारी संगठन एवं मान्यता प्राप्त क्लब के सदस्य,
8. महिला समूहों, मैत्रीसंघो, स्व–सहायता समूहों के सदस्य,
9. सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी,
10. जेल में अच्छे व्यवहार और लंबी सजायाफ्ता बंदी। (जेल प्रशासन की अनुसंशा पर)

आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 सांय 05:00 बजे तक

समय सीमा–

आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर उससके साथ एक पासपोर्ट साईज का फोटो एवं स्वप्रमाणित शैक्षणिक एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज संलग्न कर **दिनांक 15 मई 2026 के सायं 05:00** बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। इसके साथ ही **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर जिला न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) पिनकोड 482001** के पते पर आवेदन पत्र डाक/कोरियर द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। आवेदनकर्ता अपना पता लिखा लिफाफा जिस पर पर्याप्त डाक टिकट चस्पा किये गये हो, आवेदन पत्र के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

चयन प्रकिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से छंटनी (स्कूटनी) कर अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को चयन कमेटी के समक्ष साक्षात्कार परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार परीक्षण की तिथि की सूचना आवेदनकर्ता यदि किसी कारणवश साक्षात्कार तिथि परिवर्तन होती है तो उसकी सूचना आवेदक को उनके द्वारा दिये गये दूरभाष/मोबाईल पर सूचित की जा सकेगी।

किसी भी उम्मीदवार का आवेदन निरस्त/रद्द करने का पूर्ण अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का होगा और चयन कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

यात्रा व्यय/भत्ता

साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदक/उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय एवं भोजन व्यय देय नहीं होगा।

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, महोदय के आदेशानुसार)

न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर (म0प्र0)